



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्स्पॉर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ. Plexh/Cir/138 06.05.2026

को

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय सदस्यगण,

भारत ने न्यूजीलैंड के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता किया है, जिसके तहत भारतीय वस्तुओं को इस देश में शून्य शुल्क पर बाजार पहुंच प्राप्त होगी।

यह समझौता भारतीय प्लास्टिक उत्पादों की मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा, विशेष रूप से तैयार माल और पैकेजिंग सामग्री जैसे मूल्यवर्धित क्षेत्रों में।

विशेष रूप से, न्यूजीलैंड के बाजार में प्लास्टिक वस्तुओं (एचएस 392690), पैकेजिंग सामग्री (एचएस 392390), फिल्म और शीट (एचएस 392010), रसोई के सामान (एचएस 392410) और पाइप और फिटिंग (एचएस 391723) पर 5% एमएफएन शुल्क की समाप्ति से भारतीय निर्यातकों को लाभ हो सकता है।

भारत को औद्योगिक और उच्च मूल्य वाले प्लास्टिक अनुप्रयोगों में नए निर्यात अवसरों से भी लाभ हो सकता है, जिससे उच्च मूल्य वर्धित निर्यात की ओर बदलाव संभव हो सकेगा।

यह समझौता न्यूजीलैंड के आयात तंत्र में अधिक एकीकरण को सुगम बनाता है, विशेष रूप से लागत दक्षता और उत्पाद अनुकूलन द्वारा संचालित क्षेत्रों में।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए लिंक पर इस समझौते के लाभों पर विस्तृत नोट की समीक्षा करें और इसके कार्यान्वयन के समय इसका लाभ उठाएं:

https://drive.google.com/file/d/1ffbpnHSg-n-l6nMA5fJSYdcVgPD_q4KiW/view?usp=sharing

सन्नेह,

टीम प्लेक्सकॉन्सिल